

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 52/19

तारीख

01. भुरालाल पिता मूणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. जगनाथ पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रामप्रसाद पिता जमनालाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सतकुण्डिया चौराया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. बालु पिता बरदा जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. मांगीलाल पिता भैरूलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. महेन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति जैन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मनोहर पिता कन्हैयालाल जाति जैन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 23/4/2019

प्रार्थना पत्र भुरालाल पिता मूणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा सतकुण्डिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 75 पर अंकित आराजी संख्या 152, 153, 154 कुल किता 03 रकबा 14-07 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा सतकुण्डिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 75 पर अंकित आराजी संख्या 152, 153, 154 कुल किता 03 रकबा 14-07 बीघा भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा